(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित राज्यों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) से (घ) नयी राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 से खनिज क्षेत्र को निजी निवेश के लिये खोल दिया गया है। 13 खनिजों अर्थात लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रीम अयस्य, सल्फर, स्वर्ण, हीरा, तांबा, सीसा, जस्ता, गोलीब्डेनम, टंगस्टन अयस्क, निकिल और प्लेटिनम समूह की धातुएं जो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिये आरक्षित थीं, को निजी क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिये अनारक्षित कर दिया गया है।

राज्य सरकार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार खनिज रियायतों की स्वीकृति के लिये आवेदन प्राप्त करती है और उन पर कार्रवाई करती है।

Production of Pulses

939. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of AGRICULTURE be plased to state:

(a) the present production of pulses in the country;

(b) whether it is a fact that the production is short of country's requirements and if it is so, to what extent;

(c) the per capita availablity of pulses in the country in 1995 as compared to that during the year 1994;

(d) the area under pulses cultivation in the country during the years 1994 and 1995 separately;

(e) whether Government have fixed any target for increasing per-hectare production rate as well as total production; and

(f) the target fixed for the year 1996-97 on the basis of requirement of pulses by that year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN) (a) The production of pulses in 1994-95 in the country is 14.12 million tonnes.

(b) The gap between demand and supply of pulses in the country is around 3 million tonnes.

(c) The per capita per day availability of pulses was 37 grams in 1995 as against 37.2 grams in 1994.

(d) The area under pulses cultivation during 1994-95 was 23.17 million hectares. The estimates of area coverage for 1995-96 are awaited.

(e) The productivity targets are not fixed. The production target for the terminal year of Eighth Plan (1996-97) was indicated by the Planning Commission at 17 million tonnes based on its requirements.

(f) Planning Commission has fixed a production target of 17 million tonnes for the year 1996-97 which is yet to be finalised keeping in view the past performance of the States.

इस्पात के आवंटन के लिए मानदंड

940. श्री रामजीलाल: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात के कोटे के आवंटन के मामले में अपनाया गया मानदंड क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों को यह कोटा आरक्षण के आधार पर दिया जाता है और यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को यह कोटा आवंटित करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (ग) दिनांक 16/17-1-1992 से लोहे और इस्पात के वितरण तथा मूल्यन पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने के फलस्वरूप "सेल" ने विद्यमान बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विपणन हेतु अपने दिशा-निर्देश प्रारम्भ किए हैं। "सेल" के विपणन दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी उपभोक्ता, विविध आर्डर बुकिंग योजनाओं के तहत बुक किए गए आर्डरों पर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस्पात सामग्री की निर्बाध रूप से "सेल" से सीधे आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता "फ्री सेल" हेतु उपलब्ध सामग्री को भी बिना किसी बुकिंग के प्राप्त कर सकते हैं।